आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपीलवाद सं0-170/2023

मनोरंजन दूबे

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

01-07-2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति अपीलवाद न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-26/2021 में दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है।

न्यायालय समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः-

".........पंचायतवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों का दावा/आपत्ति के निष्पादन के पश्चात की वरीयता सूची के अनुसार पंचायत जगीरी टोला, आरक्षण कोटि-अनारक्षित, रोस्टर बिन्दु-675 दर्शाया गया है। अनारक्षित कोटि में मेरिट के आधार ही लाभ दिया गया है। वरीयता सूची में आवेदक पांचवे नंबर पर है इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।"

उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में प्रखंड-गोपालगंज, पंचायत-जगीरी टोला, रोस्टर बिन्दु-675 हेतु श्री दीपक कुमार साह, पिता-उमाशंकर साह के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गयी। उक्त चयन से विक्षुब्ध होकर वर्तमान अपीलकर्ता श्री मनोरंजन दूबे, पिता-अमला दूबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 7851/2021 दायर किया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 7851/2021 में दिनांक 21.02.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को मामले का निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के स्तर पर नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-26/2021 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विपक्षी

Scanned with OKEN Scanner

अनुपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

4. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला–गोपालगंज, प्रखंड–गोपालगंज, पंचायत–जगीरी टोला, रोस्टर के रोस्टर बिन्दु–675 पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अपीलकर्त्ता, मनोरंजन दूबे, विपक्षी सं0–04, दीपक कुमार साह के साथ ही अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा सभी अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करने के बावजूद जगीरी टोला पंचायत रोस्टर बिन्दु 675 (अनारक्षित, अनुमान्य–विकलांग) की अनदेखी कर आवेदक, जो अनारक्षित कोटि में दृष्टि विकलांग है, के पक्ष में विकलांगता की अनुमान्यता को नजर अंदाज कर दीपक कुमार साह के पक्ष में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करना बिलकुल गैर–कानूनी एवं न्याय के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि आवेदक जो दृष्टि दिव्यांग था उसका चयन न कर दीपक कुमार साह का चयन किया गया, जो दिव्यांग नहीं था। उपर्युक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–04 के चयन को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

5. विपक्षी को नोटिश का तामिला कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 242/v, दिनांक 12.09.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से अनुरोध किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। विपक्षी सुनवाई में अनुपस्थित है अतएव, उनका पक्ष नही जाना जा सका है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1222/खाद्य, पटना, दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–1750, दिनांक 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–963, दिनांक 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं0–2342, दिनांक 15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत सदर अनुमंडल, गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल के अन्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु समाहरणालय गोपालगंज द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया इस क्रम में दिनांक 29.12.2020 को जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में प्रखंड–गोपालगंज, पंचायत–जगीरी टोला, रोस्टर के रोस्टर बिन्दु–675 पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–04, दिपक कुमार साह, पिता–उमाशंकर साह के नाम का अनुमोदन किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि प्रकाशित विज्ञापन में रोस्टर बिन्दु 675 के सामने सिर्फ अनारक्षित का जिक्र था। ऐसे में दीपक कुमार साह को अनारक्षित कोटि में मेरिट के आधार पर लाभ दिया गया है।

उक्त के आधार विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अनुरोध किया गया कि समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा पारित आदेश यथोचित है, जिसे यथावत रखा जाय।

Scanned with OKEN Scanner

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों का दावा/आपत्ति का निष्पादन की वरीयता सूची के अनुसार पंचायत जगीरी टेला, आरक्षण कोटि–अनारक्षित, रोस्टर बिन्दु–675 दर्शाया गया है। अनारक्षित कोटि में मेरिट के आधार पर ही लाभ दिया जाना है। जिसके आलोक में विपक्षी श्री दीपक कुमार साह, पिता–उमाशंकर साह के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0–26/21 में दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।